सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री चाँदमल वर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 02/2018 (अपील नामा.)
RCMS NO : 2018/00020

अनवान

1. श्री चुन्नीलाल पिता नारू जी नागदा, निवासी मन्दावा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

—अपीलार्थी/अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती लीला बाई पत्नी श्री कान्तिलाल उर्फ प्रकाश नागदा, निवासी देवस्थान मादडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
2. सरकार जरिये उपतहसीलदार सायरा, जिला उदयपुर।

— विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री काशीराम मेघवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री भवानीशंकर पानेरी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

अपील कार्यवाही अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध म्युटेशन सं.158 न्यायालय उपतहसीलदार सायरा आदेश दिनांक 20.09.2017

* निर्णय *

दिनांक — 06-11-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध म्युटेशन संख्या 158 उपतहसीलदार सायरा दिनांक 20.09.2017 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने एक वाद संख्या 16/2015 अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा में प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.2017 को राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित कर दिनांक 27.05.2017 को डिक्री पारित की गई। डिक्री अनुसार मौजा मन्दावा, पटवार सर्कल सुहावतो का गुड़ा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 3, 4, 5, 6, 9, 10, 19, 20, 26 तथा 51 में वर्णित आराजीयात में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लीला के नाम दर्ज भूमि में से 2 बीघा जमीन अपीलार्थी चुन्नीलाल को खातेदार घोषित किया गया एवं दादीवाला पुराना मकान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का तथा मवेशी वाला मकान चुन्नीलाल व लीला का आधा—आधा रहेगा। कुएं में हिस्सा वारा अनुसार रहेगा। उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा के निर्णय के उपरान्त डिक्री की पालना के लिये प्रकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उपतहसीलदार सायरा को दिनांक 11.09.2017 को प्रेषित किया गया। जिस पर उपतहसीलदार सायरा द्वारा दिनांक 20.09.2017 को उक्त डिक्री बाबत नामान्तरकरण संख्या 158 पारित किया गया, जो उपखण्ड अधिकारी के आदेशानुसार पारित न कर पटवारी एवं भू—अभिलेख निरीक्षक ने अपनी मनमर्जी से पारित कर दिया, जिसमें खाता संख्या 51 का अपीलार्थी की अनुपस्थिति में बंटवाड़ा पारित कर दिया और अपीलार्थी के हिस्से में अपनी मनमर्जी से आराजीयात का अंकन कर दिया गया, जबकि न्यायालय में डिक्री दिनांक 27.05.2017 में बंटवाड़ा बाबत कोई उल्लेख

नहीं किया था और न ही उक्त वाद बंटवाड़ा बाबत था। उक्त आराजीयात का बंटवाड़ा करते हुए 1/2 हिस्सा चुन्नीलाल के एवं 1/2 हिस्सा श्रीमती लीला के खाते दर्ज कर दिया जबकि डिक्री में स्पष्ट रूप से लिखा है कि खाता संख्या 3, 4, 5, 6, 9, 10, 19, 20, 26 तथा 51 में वर्णित आराजीयात में से रेस्पोडेन्ट लीला के नाम जो भूमि है उसमें से 2 बीघा जमीन चुन्नीलाल को देनी है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने खाता संख्या 3, 4, 5, 6 में ही खातेदार काश्तकारी घोषित किया है, जो कि उन्नत किस्म से अपीलार्थी को वंचित किया गया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उन्नत किस्म वाली जमीन स्वयं के नाम करवा ली एवं अपीलार्थी को बंजर एवं पथरीली जमीन का अंकन अपीलार्थी के नाम करा दिया। इस प्रकार राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित किया गया उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होकर न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी के अपील स्वीकार की जाकर उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा के निर्णय अनुसार नामान्तरकरण पारित कराया जावे एवं खाता संख्या 51 में किये गये बंटवाड़े को निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष / प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भवानीशंकर पानेरी ने वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में पृथक से जवाब प्रस्तुत न कर सीधे ही बहस हेतु अनुरोध किया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उपतहसीलदार सायरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी गयी। उपतहसीलदार सायरा द्वारा अपने पत्र क्रमांक नामा.अपील/18/101 दिनांक 19.07.2018 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अवगत कराया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा के प्रकरण संख्या 16/2015 में दिनांक 27.05.2017 को राजस्व लोक अदालत में पारित निर्णय अनुसार वादी श्री चुन्नीलाल को प्रतिवादी लीला की संयुक्त खाता संख्या 3, 4, 5, 6, 9, 10, 19, 20, 26 तथा 51 में से हिस्से में आने वाली भूमि दो बीघा भूमि पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर डिक्री अनुसार अनुपालना करने के आदेश होने से दोनों पक्षकारान के मध्य बिना बंटवाड़ा दो बीघा भूमि का चुन्नीलाल को खातेदार बनाया जाना संभव न होने से प्रत्येक खातेवार भूमि को अलग अलग खाते किया जाना आवश्यक होने से दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में मौके पर जाकर वस्तुस्थिति को देखते हुए वादी–प्रतिवादी के मध्य बंटवाड़ा करते हुए दो बीघा भूमि वादी चुन्नीलाल के अधिक रखी जाकर खातेवार सूची तैयार की जाकर खाता विभाजित किया गया जो डिक्री की पालना हेतु आवश्यक था। विभाजन सूची अनुसार डिक्री आदेशानुसार पूर्णतः पालना की गयी है। अतः निस्तारित नामान्तरकरण संख्या 158 पूर्णतया विधिक प्रक्रिया है। उपतहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभयपक्ष के अनुरोध पर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस प्रारम्भ करते हुए प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने अपील प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपतहसीलदार सायरा द्वारा गलत तरीके से खोले गये नामान्तरकरण संख्या 158 निरस्त किये जाने की मांग की तथा दो बीघा जमीन लीला के खाते से उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा के निर्णयानुसार कम करने का अनुरोध किया। उपतहसीलदार सायरा द्वारा किये गये बंटवाड़े में भी अपीलार्थी की सहमति नहीं थी इस बाबत दाखला भी लगा हुआ है। उपखण्ड

अधिकारी गोगुन्दा द्वारा पारित निर्णय में भी बंटवाड़े किये जाने का भी कही उल्लेख नहीं किया गया है।

बहस में भाग लेते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने प्रकरण में प्रारम्भिक आपत्तियां एवं लिखित बहस पेश की कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा प्रकरण संख्या 16/2015 में दिनांक 17.05.2017 को आपसी समझाईश के तहत निर्णय कर दिनांक 27.05.2017 को डिक्री पारित की। उभय पक्षकारान की सहमति स्वरूप पत्रावली पर हस्ताक्षर मौजूद है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96(3) के अनुसार पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नही हो सकती है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक अवार्ड अन्तिम होगा तथा विवाद में समस्त पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा तथा इस अवार्ड के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नही की जायेगी। उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा राजीनामें के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री की भी उक्त प्रावधानानुसार अपील नहीं हो सकती है। राजीनामा दिनांक 27.05.2017 में स्पष्ट उल्लेख है कि ''राजीनामा अनुसार लीला के नाम की जमीन में से दो बीघा जमीन लीला चुन्नीलाल को देगी।'' इसकी पालना में लीला व चुन्नीलाल की जमीन का अलग अलग अंकन होने के पश्चात् ही उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की पालना हो सकती थी। उपतहसीलदार सायरा द्वारा उपखण्ड अधिकारी के आदेश के अधीन की गयी समस्त कार्यवाही पूर्णतया विधि सम्मत है। निर्णय की पालना हेतु अपीलान्ट को मौके पर उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया जिसकी सूचना मिलने पर भी अपीलान्ट ने लेने से इन्कार कर दिया किन्तु अपीलान्ट मौके पर उपस्थित हुआ एवं अपीलान्ट की उपस्थिति में ही समस्त कार्यवाही की गयी है लेकिन अपीलान्ट द्वारा हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अपीलान्ट द्वारा एक वर्ष की देरी से उक्त अपील पेश की है, जिसका कोई सन्तोषजनक एवं विधि अनुरूप कारण नहीं बताया गया है। इस कारण अपील मयाद अधीन प्रावधान के अनुसार भी अवधि बाहर होने से खारिज योग्य है। कुल जमीन 12 बीघा है जिसमें से 6 बीघा अपीलान्ट की एवं 6 बीघा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की होती है। अपीलान्ट ने राजीनामा करके रेस्पोडेन्ट से दो बीघा जमीन ले ली है जिससे अपीलान्ट के हिस्से में 8 बीघा एवं रेस्पोडेन्ट के हिस्से से 4 बीघा जमीन ही रही है। अतः अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार सायरा द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही विधि अनुरूप होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नामान्तरकरण को यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध अपीलान्ट के अपील प्रार्थना पत्र, रेस्पोडेन्ट के जवाब, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं उनमें वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

1. उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा द्वारा प्रकरण संख्या 16/2015 में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2017 के क्रम में पारित डिक्री दिनांक 27.05.2017 जिस पर उभयपक्षकारान के हस्ताक्षर मौजूद है, में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि पक्षकारान के मध्य आपसी

राजीनामा हो चुका है। राजीनामा अनुसार लीला के नाम की जमीन में से 2 बीघा जमीन लीला चुन्नीलाल को देगी। उक्त डिक्री में चुन्नीलाल को दी जाने वाली भूमि में से किसी विशेष खाता संख्या आदि का उल्लेख न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा उक्त ड़िक्री की पालना में पारित किये गये नामान्तरकरण संख्या 158 में नामान्तरकरण से पूर्व भूमि का बंटवाडा किया गया है, क्योकि प्रत्येक खातेदार अलग–अलग खाते किये बिना नामान्तरकरण नहीं खोला जा सकता था। उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा पारित निर्णय में भी कही विशेष आराजी में से 2 बीघा जमीन अपीलान्ट को दिया जाने का उल्लेख अपने निर्णय में नही किया है। ऐसी स्थिति में उपतहसीलदार द्वारा की गयी कार्यवाही नियमानुसार है।

2. उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय लोक अदालत में आपसी रजामन्दी से निर्णित किया है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 पृष्ठ संख्या 45 की धारा 21 (2) की प्रति में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक पंचाट अन्तिम होगा एवं विवाद के सभी पक्षकारों पर बाध्य होगा और कोई भी अपील पंचाट के विरूद्ध किसी न्यायालय को नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सिविल प्रकरण संहिता 1908 की धारा 96 (3) की प्रति में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त प्रकरण में चस्पा होते है।
3. उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा पारित निर्णय के क्रम में उपतहसीलदार सायरा द्वारा डिक्री की पालना कर दी गयी है एवं लीला के हिस्से से 2 बीघा भूमि कम कर अपीलान्ट के नाम दर्ज कर दी है। जहां तक गलत तरीके से बंटवाडे का प्रश्न है इस संबंध में अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 158 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार सायरा द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.05.2017 के क्रम में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 158 दिनांक 20.09.2017 यथावत रखा जाता है। यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपतहसीलदार सायरा द्वारा किये गये बंटवाड़े से असन्तुष्ट है तो इसके लिये वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकता है।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(चाँदमल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर